

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के लिए अस्थाई अनुज्ञा का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1	परियोजना विवरण :-	
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/ स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	: बीजापुर जिला आदिवासी बहुल, नक्सल हिंसा विहीन जिला है जिले में 6000 से अधिक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पदस्थ है। इनके बच्चों के लिए केन्द्रीय पाठ्यक्रम (CBSE) पाठ्यक्रम संस्था की आवश्यकता है स्थानांतरण कि स्थिति में यह संस्था लाभप्रद होगी। साथ-साथ अन्य शासकीय कर्मचारी एवं आम जनों के लिए भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के केन्द्र के रूप में यह विद्यालय विकसित होगा। विद्यालय हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने 10 एकड़ भूमि चाही गई है। तदनुसार बीजापुर वनमण्डल के खसरा क्रमांक 197, रकबा 3.996 हे. भूमि चिन्हित कि गई है।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वालो मैप।	: संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	: परियोजना की लागत लगभग 15.00 करोड़ रुपये।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	: बीजापुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अतः आवागमन हेतु सुविधाजनक, सुरक्षित स्थान आवश्यक है राष्ट्रीय राजमार्ग की उत्तर - पश्चिम दिशा में इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान की भूमि है बीजापुर विकासखण्ड में 74 % भूमि वनभूमि है। अतः राजस्व भूमि बहुत ही कम है सुरक्षा, निवास, आवागमन, शिक्षा को ही उपलब्धता सभी दृष्टि से उपयुक्त भूमि बीजापुर शहर के पास यही है। वैकल्पिक राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण	: - स्थाई शैक्षिक संस्था विकसित होगी। - आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिले में शिक्षित लोगों की भारी कमी है। - CBSE पाठ्यक्रम को शासकीय संस्था नहीं है।
	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	: विद्यालय में अध्यापन /लिपिकीय कार्य एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्यों के संपादन हेतु 60 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	: - केन्द्रीय विद्यालय भवन - 1½ हे. - खेल मैदान - 1½ हे. - रोड, पानी टंकी, विद्युत आदि हेतु - 0.99 हे. - कुल - 3.99 हे.
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	0
(i)	परिवारों की संख्या।	0
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	: 0
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के परिवारों की संख्या)	: 0
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	: नहीं।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र	: सहमत।

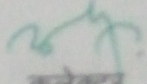
	आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	:
		:
		:
		:
		:
		:
		:
		:

दिनांक :-

स्थान :- बीजापुर।

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं.

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोटल अधिकारी द्वारा भरा जाए)


कलेक्टर
जिला बीजापुर